न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र 14(4) सख्या/01/2025

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

..........प्रार्थी0

बनाम

1—सम्पति पुत्र रामसिंह जाति जाट सा. टोहिला तहसील नदबई

2—बदनसिंह पुत्र भगवत जाति जाट निवासी ग्रांम टोहिला तहसील नदबई

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना— पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू —आंबटन नियम 1970),

———————

उपस्थित :—

1—पैरोकार सरकार, प्रार्थी,

2—श्री के0के0सिंघल अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—2

निर्णय **दिनांक 17.10.2025**

प्रार्थी तहसीलदार नदबई ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विरुद्व अप्रार्थी0 इस आश्य का पेश किया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है जमांबदी संवत् 2075—78 ग्रांम टोहिला तहसील नदबई के खाता संख्या 208 में आराजी हाल खसरा नम्बर 776/0.07 है0 का मिलान क्षेत्रफल सवंत 2060 के गत खसरा नम्बर 514मि0 रकवा 6 बिस्वा (165 फीट जरीब) है एवं मिलान क्षेत्रफल सवंत 2028 के अनुसार खसरा नम्बर 514 मि0 रकवा 6 विस्वा का साबिक खसरा नम्बर 442 रकवा 9 विस्वा (132 फीट जरीब) है पर सम्पति पुत्र रामसिंह जाति जाट रहिन एस.बी.आई. नदबई दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सं0 2010—13 की खाता संख्या 155 पर दर्ज खसरा नम्बर 422 रकबा 9 विस्वा किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। मिसल बन्दोवस्त सवंत 2028 में खसरा नम्बर 514 रकबा 6 विस्वा की भूमि किस्म बिना किसी आदेश गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर बजंड दर्ज कर दी गई है। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1981 को आराजी खसरा नम्बर 514 रकवा 6 विसवा का आवन्टन सम्पति पुत्र रामसिंह को कर कर दिया गया है। श्रीमान न्यायालय में प्रकरण रेफरेन्स संख्या 02/2020 उनवानी बदनसिंह वगे. बनाम सम्पति वगे. में निर्णय दिनांक 17.5.2024 से प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया गया कि विवादित आराजी आरटीएक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है या नहीं जांच करे तथा प्रतिबन्धित श्रेणी में पाई जावे तो आवंटन

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

निरस्त कराये जाने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। रिकार्ड परीक्षण के अनुसार विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 514 रकवा 6 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 776/0.07है0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज पाई गई। आवंन्टन सलाहाकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1981 को किया गया आवंटन निरस्त योग्य रहता है। आर.टी.ए. की धारा 16 के तहत विवादित आराजी प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। आवंटन निरस्त किया जाकर विवादित आराजी को पूर्व की भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी सख्या–1 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या –2 के अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र 14(4) में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी मिसल बन्दोवस्ता संवत 2028 के खाता संख्या 85 खसरा नम्बर 514 रकबा 6 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज थी। बन्दोवस्त विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के गैर मुमकिन रास्ता को बंजड दर्ज कर दिया गया । जिसके हाल खसरा नम्बर 776/0.07 है0 बने हैं। पैरोकार सरकार का कहना है कि आबंटन सलाहकार समिति ने आबंटन आदेश दिनांक 2.6.1981 को आराजी खसरा नम्बर 514 रकबा 6 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज को अप्रार्थी संख्या 1 सम्पति को नियम विरुद्ध आवंटन कर दिया गया है। पैरोकार सरकार का तर्क है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है। ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हैं। ऐसी भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है और नाहीं किसी प्रकार से खातेदारी दी जा सकती है। विवादित आराजी से अप्रार्थी संख्या 2 का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर आबंटन सलाहाकार समिति नदबई द्वारा दिनांक 2.6.1981 को आराजी खसरा नम्बर 514 रकबा 6 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता हाल खसरा नम्बर 776/0.07 है0 को निरस्त किया जावे तथा भूमि की किस्म पूर्वत गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जावें।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग की है। जनहित में आवंटन निरस्त किया जाकर विवादित आराजी पुनः गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। पत्रावाली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट आया कि जमांबदी संवत् 2075–78 ग्रांम टोहिला तहसील नदबई के खाता संख्या 208 में आराजी हाल खसरा नम्ब़र 776/0.07 है0 से मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सवंत 2060 के गत खसरा नम्बर 514 मि0 रकवा 6 बिस्वा बना है एवं मिलान क्षेत्रफल सवंत 2028 के

........3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अनुसार खसरा नम्बर 514 मि0 रकवा 6 विस्वा का साबिक खसरा नम्बर 442 रकवा 9 विस्वा है जिस पर अप्रार्थी संख्या–1 सम्पति पुत्र रामसिंह जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सं0 2010–13 की खाता संख्या 155 पर दर्ज खसरा नम्बर 422 रकबा 9 विस्वा किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। मिसल बन्दोवस्त सवंत 2028 में खसरा नम्बर 514 रकबा 6 विस्वा की भूमि किस्म बिना किसी आदेश गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर बजंड दर्ज कर दी गई है जो नियमों के खिलाफ है। आवंटन सलाहाकार समिति नदबई द्वारा अपने आवंटन आदेश दिनांक 02.06.1981 से आराजी खसरा नम्बर 514 रकवा 6 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता भूमि का आवन्टन सम्पति पुत्र रामसिंह को कर कर दिया गया है। चूँकि विवादित आराजी गत राजस्व रिकार्ड के मुताविक गैर मुमकिन भूमि दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में ऐसी भूमियॉ प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हैं, ऐसी भूमियॉ का आंवटन नहीं किया जा सकता है और ना हीं किसी प्रकार से खातेदारी दी जासकती है। आवंटन सलाकार समिति नदबई द्वारा दिनांक 02.06.1981 को आराजी खसरा नम्बर 514 रकवा 6 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता हाल खसरा नम्बर 776 / 0.07है0 का किया गया आवंटन काबिल निरस्त के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 14(4) स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 514 रकवा 6 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 776 / 0.07 है0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1981 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। अप्रार्थीगण गैर खातेदारी इन्द्राज कलमजन किये जाकर विवादित आराजी पूर्वत गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। निणर्य की प्रति तहसीलदार नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर